(1)	(2)	(3)
26/05/2016	1. प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू अर्जन अधिकारी नारायणपुर से प्राप्त । 2. अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू अर्जन अधिकारी नारायणपुर ने लेख किया है कि कार्यपालन अभियंता,(सि.पारे.) छ0ग0रा0वि0 पारे0 कं0 मर्या0जगदलपुर ने आवेदन पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम नेलवाड़ में 220/132 के.व्ही.विद्युत उप केन्द्र निर्माण हेतु भू-अर्जन की कार्यवाही प्रारंभ की गई है तथा धारा 11 का प्रकाशन दिनांक 27.05.2015 को राजपत्र में किया जा चुका है एवं धारा 19 के प्रकाशन के पूर्व भू अर्जन के तहत् मुआवजा राशि का 80 प्रतिशत राशि जमा करने हेतु लिखा गया है किन्तु उच्च कार्यालय से प्राक्कलन स्वीकृति हेतु अंतिम स्तर पर है, अतः धारा 19 के प्रकाशन हेतु समय सीमा बढ़ाने का कष्ट करें । 3. चूंकि नारायणपुर के आधारभूत अवसंरचना को दृष्टिगत रखते हुये एवं विद्यूत आपूर्ति को ध्यान में रखते हुये विद्युत उप केन्द्र की स्थापना आवश्यक है और कार्यपालन अभियंता के द्वारा मुआवजा राशि स्वीकृति अंतिम स्टेज पर होना प्रतिवेदित किया गया है । 4. पुनर्वास,पुनर्व्यवस्थापन तथा घोषणा एवं सार का प्रकाशन धारा-19(1) के प्रकाशन में विलंब की दशा में धारा 19(7) के तहत् न्यायोचित परिस्थितियां विद्यमान होने की स्थिति में 12 माह की अवधि को बढ़ाने का अधिकार समुचित सरकार को दिया गया है । 5. अतः कार्यपालन अभियंता ,(सि.पारे.) छ0ग0रा0वि0 पारे0 कं0 मर्या0जगदलपुर को भू-अर्जन की 80 प्रतिशत् राशि जमा करने एवं प्रभावित परिवारों को भुगतान हेतु 06 माह की अवधि बढ़ाई जाती है । 6. अवधि बढ़ाई जाने की जानकारी विभागीय वेबसाईट में अपलोड किया जावे । 7. प्रकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी नारायणपुर को मूलतः भेजा जावे । कलेक्टर, जिला नारायणपुर अनुविभागीय अधिकारी, (रा.),नारायणपुर	